

21⁰²/₂₂

वकील उभयपक्ष उप०। वकील सायल ने
जकार्ड नं० 01R10 CPC का प्रकाश
पेश नहीं किया। अन्तिम अवसर दिनांक
07/02/22 पर्यावली वाले जकार्ड नं० 01R10 CPC एवं प्राथमिक पत्र
212 RTA^{वहस} दिनांक 24-02-22 को
पेश हो।

24⁰²/₂₂

वकील उभयपक्ष उप०। प्राथमिक पत्र 01R10
स्वीकार किये जाने में सायल को कोई
आशंका नहीं है। प्राथमिक पत्र स्वीकार किया
जाता है। प्राथमिक पत्र संशोधित 212 RTA
मय सायल पेश करें। पर्यावली वाले
संशोधित प्राथमिक पत्र एवं वहस 212 RTA
दिनांक 28-02-2022 को पेश हो।

28/2/22

उभयपक्ष उपस्थित भूल बाद 07R10
एवं न्याय 151 CPC के तहत खारिज
किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में
प्राथमिक-पत्र 212 RTA भी खारिज
किया जाता है। पर्यावली प्रेसल सुभा 12
दीकर दाखिल दफ्तर ले।